

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी, 2021

विषय:- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के फोटोवोल्टाइक आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4759 यूपीनेडा/प्रा0वि0/आर.ओ.(167)/2019-20, दिनांक 02 दिसम्बर 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-70 में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के फोटोवोल्टाइक संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2650.00 लाख में से प्रथम किशत के रूप में रू0 1325.00 लाख (रू0 तेरह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 8/2020/411/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2020, दिनांक 03 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रश्नगत योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1275.00 लाख (रू0 बारह करोड़ पचहतर लाख मात्र) को द्वितीय किशत के रूप में निम्नवत आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शासन के पत्र संख्या-356/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2020 दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा चयनित जनपदों के विद्यालयों में की जायेगी।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 5- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाईन/ड्राईंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत की प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसके लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी कराई जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- यूपीनेडा द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत मद में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 7- यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत मद की धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 8- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 10- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 11- उक्त वित्तीय स्वीकृति धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020, कार्यालय जाप संख्या 4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल 2020, कार्यालय जाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल 2020 एवं कार्यालय जाप संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-“2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 01 किलोवाट के फोटोबोल्टाइक संयंत्र की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)” के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बीएम-9(चार्ट-1) के स्तम्भ-1में उल्लिखित लेखा शीर्षक में उपलब्ध बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।
- 13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-18/दस-2021, दिनांक 02 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक: तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
 - (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
 - (4) राज्य योजना आयोग-1।
 - (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, प्रयागराज।
 - (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।